कारण एवं उद्देश्य

चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उपबंध है तथा इसमें निम्नलिखित प्रावधान है:–

"राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद 44 के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में राज्यक्षेत्र के समस्त निवासियों को विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामले में समान रूप से शासित करने हेतु एक समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाना अपरिहार्य है। जिससे राज्य में सभी निवासियों को एक ही विधि से शासित किया जा सके।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

Mark of Quality Prakash Stationery Mark of Quality Mark of Quality Prakash

समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024

धाराओं का क्रम

धाराएं पृष्ठ

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार 1
2. अनुसूचित जनजातियों पर संहिता की प्रयोज्यता 1
3. परिभाषाएं 1

भाग — 1
विवाह और विवाह—विच्छेद
अध्याय — 1
विवाह अनुष्ठापन/अनुबंधन हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं

4. विवाह हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं 6
5. विवाह के अनुष्ठान 6

अध्याय — 2
विवाह और विवाह—विच्छेद का पंजीकरण

6. संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह का अनिवार्य पंजीकरण 7
7. संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह का पंजीकरण 7
8. संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात पारित विवाह—विच्छेद या अकृतता के न्यायिक आदेश का पंजीकरण 8
9. संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व विवाह—विच्छेद या विवाह की अकृतता के न्यायिक आदेश का पंजीकरण 8
10. धारा 6 एवं धारा 7 के अंतर्गत विवाह के पंजीकरण की अवधि एवं प्रक्रिया 9
11. धारा 8 और धारा 9 के अन्तर्गत विवाह—विच्छेद या विवाह की अकृतता के न्यायिक आदेश के पंजीकरण की अवधि और प्रक्रिया 10
12. महानिबंधक, निबंधक और उप—निबंधक की नियुक्ति 11

13. धारा 10 अथवा धारा 11 के अंतर्गत ज्ञापन प्राप्त होने पर कार्यवाही 11
14. पंजीकरण की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील 12
15. जनसाधारण के निरीक्षण हेतु पंजिकाओं का उपलब्ध होना 13
16. अभिलेखों का साक्ष्यिक मूल्य 13
17. उपेक्षा या मिथ्या कथन के लिए शास्ति 13
18. पंजीकरण न होने की स्थिति में प्रक्रिया 14
19. उप–निबंधक की निष्क्रियता के लिए दण्ड 14
20. पंजीकरण न कराने से विवाह अविधिमान्य नहीं होगा 14

अध्याय 3

दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण

21. दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन 15
22. न्यायिक पृथक्करण 15

अध्याय 4

विवाह और विवाह–विच्छेद की अकृतता

23. शून्य विवाह 16
24. शून्यकरणीय विवाह 16
25. विवाह–विच्छेद 17
26. विवाह–विच्छेद की कार्यवाहियों में वैकल्पिक अनुतोष 19
27. पारस्परिक सम्मति से विवाह–विच्छेद 19
28. विवाह के एक वर्ष के भीतर विवाह–विच्छेद की याचिका पर प्रतिबंध 20
29. विवाह–विच्छेद पर प्रतिबंध 20
30. किसी व्यक्ति का पुनर्विवाह करने का अधिकार जहां विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता का न्यायिक आदेश पारित किया गया हो 21
31. शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के बच्चों की धर्मजता 21
32. कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दण्ड 21

अध्याय 5

आनुषंगिक कार्यवाही

33. याचिका लंबित रहते भरण–पोषण और कार्यवाहियों के व्यय 22
34. स्थायी निर्वाहिका एवं भरण–पोषण 22
35. बच्चों की अभिरक्षा 23
36. संपदा का व्ययन 23

अध्याय 6
अधिकारिता क्षेत्र और प्रक्रिया

37. न्यायालय जिसमें याचिका प्रस्तुत की जाएगी 24
38. इस भाग के अंतर्गत अभिवचन 24
39. इस भाग के अंतर्गत न्यायालय में कार्यवाही की प्रक्रिया 24
40. कुछ मामलों में याचिकाएँ अंतरित करने की शक्ति 25
41. इस भाग के अन्तर्गत याचिकाओं के विचारण और निस्तारण से संबंधित विशेष प्रावधान 25
42. अभिलेखीय साक्ष्य 26
43. कार्यवाहियों में न्यायिक आदेश 26
44. विवाह–विच्छेद और अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष 27
45. दण्डित करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया 27

अध्याय – 7
पूरक प्रावधान

46. न्यायिक व अन्य आदेशों की अपीलें 28
47. न्यायिक व अन्य आदेशों का प्रवर्तन 28
48. नियम बनाने की शक्ति 28

भाग – 2
उत्तराधिकार
अध्याय – 1
इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी उत्तराधिकार
वरीयताक्रम तथा अंशों का वितरण

49. उत्तराधिकार के सामान्य नियम 30
50. उत्तराधिकार का तरीका 31
51. श्रेणी 1 के उत्तराधिकारियों के मध्य संपदा का वितरण 31
52. श्रेणी 2 के उत्तराधिकारियों के मध्य संपदा का वितरण 31
53. निकटतम डिग्री के अन्य नातेदारों के मध्य संपदा का वितरण 32

सामान्य प्रावधान

54. डिग्रियों की गणना 32
55. गर्भस्थ बच्चे का अधिकार 32
56. समसामयिक मृत्युयों के विषयों में उपधारणा 33

निरर्हतायें

57. पुनर्विवाह पर निरर्हता 33

58. हत्यारा निरर्हित 33
59. उत्तराधिकारी, जबकि उत्तराधिकारी निरर्हित हो 33
60. रोग, शारीरिक/मानसिक दोश या विकृति से निरर्हता न होना 33

अध्याय – 2

इच्छापत्रीय उत्तराधिकार

इच्छापत्र और क्रोडपत्र

61. इच्छापत्र करने के लिए सक्षम व्यक्ति 34
62. कपट, प्रपीड़न या अतियाचना द्वारा अभिप्राप्त इच्छापत्र 34
63. इच्छापत्र प्रतिसंहृत या परिवर्तित की जा सकती है 36

इच्छापत्रों का निष्पादन

64. इच्छापत्रों का निष्पादन 36
65. संदर्भ द्वारा अभिलेखों का सम्मिलित किया जाना 39
66. हित के कारण या निष्पादक होने के कारण साक्षी का निरर्हित न होना 39
67. इच्छापत्र या क्रोडपत्र का प्रतिसंहरण 39
68. विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र में मिटाने, अंतरालेखन या परिवर्तन का प्रभाव 40
69. विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र का पुनः प्रवर्तन 40

इच्छापत्रों का अर्थान्वयन

70. इच्छापत्र के शब्द 41
71. इच्छापत्र को पाने वाले या उसकी विषयवस्तु से संबंधित किसी प्रश्न को अवधारित करने के लिए जांच 41
72. पाने वाले का मिथ्या नाम या मिथ्या वर्णन 41
73. शब्दों की पूर्ति कब की जाएगी 43
74. विषयवस्तु के वर्णन में गलत वर्णन का अस्वीकार किया जाना 43
75. वर्णन का भाग कब अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि वह गलत है 43
76. प्रत्यक्ष संदिग्धार्थता के मामलों में बाहरी साक्ष्य की ग्राह्यता 44
77. प्रत्यक्ष संदिग्धार्थता या कमी से मामलों में बाहरी साक्ष्य की अग्राह्मता 44
78. खंड का अर्थ सम्पूर्ण इच्छापत्र से निकाला जाना 45
79. शब्दों को कब सीमित अर्थों में और कब प्रायिक से विस्तृत अर्थों में समझा जाएगा 45
80. दो सम्भाव्य अर्थान्वयन में से किसे अधिमान दिया जाएगा 46
81. यदि युक्तियुक्त अर्थान्वयन किया जा सके तो किसी भाग को अस्वीकृत न किया जाना 46

82.	इच्छापत्र के विभिन्न भागों में पुनः प्रयुक्त शब्दों का निर्वचन	46
83.	जहां तक संभव हो इच्छापत्रकर्ता के आशय को प्रभावी बनाया जाना	47
84.	दो असंगत खंडों में से अंतिम का अभिभावी होना	47
85.	अनिश्चितता के कारण इच्छापत्र या इच्छापत्र का शून्य होना	44
86.	वस्तुओं का वर्णन करने वाले शब्दों का, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर, वर्णन के अनुरूप संपदा को निर्दिष्ट करना	47
87.	साधारण उत्तरदान द्वारा निष्पादित नियोजन की शक्ति	48
88.	नियोजन के अभाव में शक्तियों के उद्देश्यों के लिए विवक्षित दान	48
89.	किसी व्यक्ति के ''उत्तराधिकारियों'' आदि को, विशेषित करने वाले शब्द के बिना उत्तरदान	48
90.	विशिष्ट व्यक्ति के ''प्रतिनिधियों'' आदि को उत्तरदान	49
91.	परिसीमा संबंधी शब्दों के बिना उत्तरदान	50
92.	विकल्प में उत्तरदान	50
93.	किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदान में किसी वर्ग का वर्णन करने वाले शब्दों को जोड़ने का प्रभाव	51
94.	केवल साधारण वर्णन वाले व्यक्तियों के वर्ग को उत्तरदान	52
95.	पदों का अर्थान्वयन	52
96.	जहां इच्छापत्र में एक ही व्यक्ति को दो उत्तरदान करने का तात्पर्य हो वहां अर्थान्वयन के सिद्धांत	52
97.	अवशिष्टीय इच्छापत्रदार का गठन	54
98.	संपदा, जिसके लिए अवशिष्टीय इच्छापत्रदार अधिकारी है	55
99.	साधारण निबन्धनों वाली इच्छापत्रीय संपदा के निहित होने का समय	55
100.	इच्छापत्रीय संपदा किन मामलों में व्यपगत होती है	56
101.	इच्छापत्रीय संपदा व्यपगत नहीं होती यदि दो संयुक्त इच्छापत्रदारों में से एक की मृत्यु हो जाती है	57
102.	विशिष्ट अंश देने की इच्छापत्रकर्ता के आशय को दर्शित करने वाले शब्दों का प्रभाव	57
103.	व्यपगत अंश कब अव्ययनित समझा जाएगा	57
104.	इच्छापत्रकर्ता की संतान या रैखिक वंशज के लिए उत्तरदान इच्छापत्रकर्ता के जीवनकाल में उसकी मृत्यु हो जाने पर कब व्यपगत नहीं होती है	57
105.	ख के लाभ के लिए क का उत्तरदान क की मृत्यु से व्यपगत नहीं होता	58
106.	वर्णित वर्ग के लिए उत्तरदान के मामले में उत्तरजीविता	58

शून्य उत्तरदान

107. किसी विशिष्ट वर्णन वाले किसी व्यक्ति को, जो इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर विद्यमान नहीं है, उत्तरदान 60
108. इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर अविद्यमान व्यक्ति को पूर्वोक्त उत्तरदान के अध्यधीन उत्तरदान 61
109. शाश्वतता के विरुद्ध नियम 62
110. उस वर्ग को उत्तरदान जिनमें से कुछ धारा 108 और 109 के अन्दर आते हैं 64
111. उत्तरदान का किसी पूर्विक उत्तरदान की निष्फलता पर प्रभावी होना 64
112. संचयन के लिए निर्देश का प्रभाव 65

इच्छापत्रीय संपदा का निहित होना

113. इच्छापत्रीय संपदा के निहित होने की तिथि जब संदाय या आधिपत्य रोक दिया गया हो 66
114. निहित होने की तिथि जब इच्छापत्रीय संपदा विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना पर समाश्रित हो 67
115. किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों का उत्तरदान में हित निहित होना, जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करे 69

दुर्भर उत्तरदान

116. दुर्भर उत्तरदान 70
117. एक ही व्यक्ति को दो पृथक् और स्वतंत्र उत्तरदानों में से एक स्वीकार तथा दूसरी अस्वीकार की जा सकती है 70

समाश्रित उत्तरदान

118. उत्तरदान जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना पर, जिसके घटित होने के लिए समय वर्णित नहीं है, समाश्रित है 71
119. कुछ व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को उत्तरदान जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हैं 71

सशर्त उत्तरदान

120. असंभव शर्त पर उत्तरदान 72
121. अवैध या अनैतिक शर्त पर उत्तरदान 73
122. इच्छापत्रीय संपदा के निहित होने के तिथि के पूर्व की शर्त की पूर्ति 73
123. ख को किये गये पूर्व उत्तरदान के निष्फल हो जाने पर क को उत्तरदान 74
124. प्रथम उत्तरदान की निष्फलता पर द्वितीय उत्तरदान का कब प्रभावी न होना 75

125. परवर्ती उत्तरदान का विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित न होने पर आश्रित होना 75
126. शर्तों का कड़ाई से पूरा किया जाना 76
127. मूल उत्तरदान का द्वितीय उत्तरदान की अविधिमान्यता द्वारा प्रभावित न होना 77
128. इस शर्त के साथ उत्तरदान कि यह विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने की दशा में प्रभावी नहीं रहेगी 77
129. ऐसी शर्त धारा 114 के अधीन अविधिमान्य नहीं होनी चाहिए 78
130. इच्छापत्रदार द्वारा उस कार्य को, जिसके लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है और जिसके न किए जाने पर विषयवस्तु अन्य व्यक्ति को मिलेगी, असंभव बनाने या अनिश्चित काल तक रोकने का परिणाम 78
131. पुरोभाव्य या उत्तरभाव्य शर्त का विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा किया जाना। कपट के मामले में अतिरिक्त समय 79

लागू होने या उपभोग के बारे में निर्देश के साथ उत्तरदान

132. किसी व्यक्ति को या उसके लाभ के लिए निधि की आत्यंतिक उत्तरदान के बाद यह निर्देश कि निधि का उपयोजन विशिष्ट रीति से किया जाए 79
133. यह निर्देश कि आत्यन्तिक उत्तरदान के उपभोग की रीति, इच्छापत्रदार को विनिर्दिष्ट लाभ सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जानी है 80
134. निधि का कतिपय प्रयोजनों के लिए, जिनमें से कुछ को पूरा नहीं किया जा सकता है, उत्तरदान 80

किसी निष्पादक को उत्तरदान

135. निष्पादक के रूप में नामित इच्छापत्रदार जब तक निष्पादक के रूप में कार्य करने का आशय दर्शित न करे, वह इच्छापत्रीय संपदा प्राप्त नहीं कर सकता है 81

विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा

136. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा की परिभाषा 81
137. कतिपय धनराशि का उत्तरदान, जहां वह स्टाक आदि, जिसमें उसका विनिधान किया गया है वर्णित है 84
138. स्टाक का उत्तरदान, जहां इच्छापत्रकर्ता के पास इच्छापत्र की तिथि को उसी प्रकार के स्टाक की समान या अधिक मात्रा है 84
139. धन का उत्तरदान, जहां वह, जब तक इच्छापत्रकर्ता की संपदा का भाग कतिपय रीति से व्ययन न किया जाए, संदेय नहीं है 85
140. कब प्रगणित वस्तुओं का विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया नहीं माना जाता है 85

141. विभिन्न व्यक्तियों को क्रमबार विनिर्दिष्ट उत्तरदान का उसी रूप में प्रतिधारण 85

142. दो या अधिक व्यक्तियों को क्रमवार उत्तरदान की गई संपदा का विक्रय और आगमों का विनिधान 86

143. जहां इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए आस्तियों में कमी है वहां विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा का साधारण इच्छापत्रीय संपदा के साथ उपशमन न होना 86

निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा

144. निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा की परिभाषा 86

145. संदाय का आदेश जहां इच्छापत्रीय संपदा का संदाय ऐसी निधि से किए जाने का निर्देश हो, जो विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा की विषय वस्तु हो 87

इच्छापत्रीय संपदा का विखण्डन

146. विखंडन का स्पष्टीकरण 88

147. निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा का विखंडित न होना 89

148. तृतीय पक्षकार से कुछ प्राप्त करने के अधिकार की विनिर्दिष्ट उत्तरदान का विखंडन 89

149. विनिर्दिष्ट रूप से उत्तरदान की गई संपूर्ण वस्तु के भाग की इच्छापत्रकर्ता द्वारा प्राप्ति पर उस सीमा तक विखंडन 90

150. ऐसी संपूर्ण निधि के भाग की, जिसका भाग विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया है, इच्छापत्रकर्ता द्वारा प्राप्ति पर उस सीमा तक विखंडन 90

151. संदाय का क्रम, जहां निधि का भाग एक इच्छापत्रदार को विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया है और उसी निधि पर भारित इच्छापत्रीय संपदा अन्य व्यक्ति को उत्तरदान किया गया है और इच्छापत्रकर्ता ने उस निधि का एक भाग प्राप्त किया है और अब शेष दोनों इच्छापत्रीय संपदाओं का संदाय करने के लिए अपर्याप्त है 90

152. जहां विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया स्टाक इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय विद्यमान नहीं है, वहां विखंडन 91

153. जहां विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया स्टाक, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय, केवल भागतः विद्यमान रहता है, वहां उस सीमा तक विखंडन 92

154. ऐसे माल का, जिसका वर्णन किसी स्थान से उसे संबंधित करता है, विनिर्दिष्ट उत्तरदान का माल हटाए जाने के कारण विखंडित न होना 92

155. उत्तरदान की गई वस्तु का हटाया जाना कब विखंडित नहीं होता है 92
156. जहां उत्तरदान की गई वस्तु इच्छापत्रकर्ता द्वारा अन्य व्यक्ति से प्राप्त होने वाली मूल्यवान वस्तु है और इच्छापत्रकर्ता स्वयं या उसका प्रतिनिधि उसे प्राप्त करता है 93
157. विनिर्दिष्ट उत्तरदान की विषयवस्तु में, इच्छापत्र की तिथि और इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के बीच, विधि के प्रवर्तन द्वारा परिवर्तन 93
158. इच्छापत्रकर्ता की जानकारी के बिना विषयवस्तु में परिवर्तन 94
159. विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया स्टाक तृतीय पक्षकार को इस शर्त पर पट्टे पर दिया जाना कि उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा 94
160. विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किए गए स्टाक को विक्रय करके उसका प्रतिस्थापन होना और इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर उसका इच्छापत्रकर्ता के स्वामित्व में होना 94

किसी उत्तरदान की विषय–वस्तु संबंधी दायित्वों का संदाय

161. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रदारों को विमुक्त करने का निष्पादक का दायित्व न होना 95
162. उत्तरदान की गई वस्तु के लिए इच्छापत्रकर्ता के अधिकार को पूरा करना उसकी संपदा के खर्च पर होगा 96
163. इच्छापत्रदार की स्थावर संपदा की विमुक्ति, जिसके लिए भू–राजस्व या भाटक कालिक रूप से संदेय है 96
164. संयुक्त स्टाक कम्पनी में विनिर्दिष्ट इच्छापत्रदार के स्टाक की विमुक्ति 96

साधारण शब्दों में वर्णित वस्तुओं का उत्तरदान

165. साधारण शब्दों में वर्णित वस्तुओं का उत्तरदान 98

निधि के ब्याज या आगम का उत्तरदान

166. निधि के ब्याज या आगम का उत्तरदान 98

वार्षिकी का उत्तरदान

167. जब तक इच्छापत्र से कोई प्रतिकूल आशय प्रकट न हो, इच्छापत्र द्वारा सृजित वार्षिकी केवल जीवन पर्यन्त संदेय होगी 99
168. जहां इच्छापत्र में यह निर्देष दिया गया हो कि वार्षिकी संपदा के आगमों में से या साधारणतः संपदा में से दी जानी चाहिए या जहां उत्तरदान किए गए धन का विनिधान वार्षिकी का क्रय करने में किया जाना है, वहां विनिधान की अवधि 99
169. वार्षिकी का उपशमन 100
170. जहां वार्षिकी का दान और अवशिष्ट दान हो, वहां सम्पूर्ण वार्षिकी का पहले चुकाया जाना 100

लेनदारों और हिस्सा पाने वालों की इच्छापत्रीय संपदा

171. लेनदार, प्रथमदृष्ट्या, इच्छापत्रीय संपदा, तथा ऋण, दोनों के लिए अधिकारी है 100
172. संतान प्रथमदृष्ट्या, इच्छापत्रीय संपदा तथा हिस्सा, दोनों के लिए अधिकारी है 100
173. इच्छापत्रदार के लिए पश्चात्वर्ती उपबन्ध द्वारा विखंडन न होना 101

चयन

174. किन परिस्थितियों में चयन होता है 101
175. स्वामी द्वारा त्यागे गए हित का न्यागमन 101
176. इच्छापत्रकर्ता के स्वामित्व के संबंध में उसका विश्वास तत्त्वहीन है 102
177. व्यक्ति के लाभ के लिए उत्तरदान, चयन के प्रयोजन के लिए कैसे माना जाए 102
178. अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पाने वाले व्यक्ति को चयन नहीं करना है 103
179. इच्छापत्र के अधीन व्यक्तिगत सामर्थ्य में लेने वाला व्यक्ति दूसरे सामर्थ्य में उसके विपरीत लेने का चयन कर सकेगा 103
180. अंतिम छह धाराओं के उपबन्धों का अपवाद 104
181. इच्छापत्र द्वारा दिए गए लाभ का प्रतिग्रहण कब इच्छापत्र के अधीन लेने के चयन को गठित करता है 104
182. वे परिस्थितियां जिनमें ज्ञान या अधित्यजन उपधारित या अनुमित किया जाता है 105
183. इच्छापत्रकर्ता के प्रतिनिधि इच्छापत्रदार से चयन करने के लिए कब कह सकेंगे 105
184. निर्योग्यता की दशा में चयन को स्थगित रखना 106

मृत्यु को आसन्न मानकार किए गए दान

185. मृत्यु को आसन्न मानकर दान द्वारा अन्तरणीय संपदा 106

अध्याय – 3

मृतक की संपदा का संरक्षण

186. मृतक की संपदा के लिए उत्तराधिकार द्वारा अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति सदोष आधिपत्य के विपरीत अनुतोष के लिए आवेदन कर सकेगा 108
187. न्यायाधीश द्वारा की गई जांच 108
188. प्रक्रिया 108
189. कार्यवाहियों के अवधारण के लंबित रहने के दौरान रक्षक की नियुक्ति 109

190. रक्षक को प्रदान की जा सकने वाली शक्तियां 109
191. रक्षक द्वारा कतिपय शक्तियों के प्रयोग का प्रतिषेध 109
192. रक्षक प्रतिभूति देगा और पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा 110
193. कलेक्टर की रिपोर्ट जहां संपदा में राजस्व संवत्त करने वाली भूमि सम्मिलित है 110
194. वादों को संस्थित करना और उनमें प्रतिरक्षा करना 111
195. रक्षक द्वारा अभिरक्षा के लंबित रहने के दौरान दृश्यमान स्वामियों को भत्ते 111
196. रक्षक द्वारा लेखा पत्रावलित किया जाना 111
197. लेखाओं का निरीक्षण और दोहरी प्रति रखने का हितबद्ध पक्षकार का अधिकार 111
198. एक ही संपदा के लिए दूसरे रक्षक की नियुक्ति पर बंधन 111
199. रक्षक के लिए आवेदन करने की समय–सीमा 112
200. मृतक द्वारा लोक व्यवस्थापन या विधिक निर्देष के विपरीत इस भाग के प्रवर्तन का वर्जनी 112
201. वाद लाने के अधिकार की व्यावृत्ति 112
202. संक्षिप्त कार्यवाही के विनिश्चय का प्रभाव 112
203. लोक रक्षकों की नियुक्ति 112

अध्याय — 4

उत्तराधिकार पर मृतक की संपदा के लिए प्रतिनिधि का अधिकार

204. निष्पादक या प्रशासक की, उस रूप में, प्रकृति और संपदा 114
205. न्यायालय के माध्यम से मृत व्यक्तियों के ऋणियों से ऋणों की उगाही के लिए प्रतिनिधि के अधिकार के सबूत का पुरोभाव्य शर्त होनी। 114
206. पश्चात्वर्ती प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का प्रमाणपत्र पर प्रभावी 114
207. केवल प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के प्राप्तकर्ता द्वारा, जब तक उसे प्रतिसंहृत न कर दिया जाए, वाद आदि लाया जाना 115

अध्याय — 5

प्रोबेट, प्रशासन–पत्र और मृतक की आस्तियों का प्रशासन

208. इस अध्याय का लागू होना 116

प्रोबेट और प्रशासन–पत्र का अनुदान

209. प्रशासन किसे अनुदत्त किया जाएगा 116
210. प्रशासन–पत्र का प्रभाव 116
211. प्रशासन–पत्र द्वारा कृत्यों को वैध न किया जाना 116

212. प्रोबेट केवल नियुक्त निष्पादक के लिए ही 117
213. वे व्यक्ति जिन्हें प्रोबेट अनुदत्त नहीं किए जा सकते हैं 117
214. विभिन्न निष्पादकों को साथ–साथ या विभिन्न समय पर प्रोबेट का अनुदान 117
215. प्रोबेट के अनुदान के पश्चात् क्रोडपत्र के पृथक् प्रोबेट का पता लगना 117
216. उत्तरजीवी निष्पादक के प्रतिनिधित्व का प्रोद्भूत होना 118
217. प्रोबेट का प्रभाव 118
218. राज्य के बाहर सिद्ध इच्छापत्रों की अधिप्रमाणित प्रति की प्रति उपाबद्ध करके प्रशासन 118
219. जहां निष्पादक ने पद त्याग नहीं किया है वहां प्रशासन का अनुदान 118
220. निष्पादकत्व के त्याग का प्रपत्र और प्रभाव 118
221. जहां निष्पादक त्याग करता है या समय के भीतर स्वीकार करने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया 118
222. सर्वस्व या अवशिष्ट इच्छापत्रदार को प्रशासन का अनुदान 119
223. मृतक अवशिष्ट इच्छापत्रदार के प्रतिनिधि का प्रशासन के लिए अधिकार 119
224. जहां निष्पादक, अवशिष्ट इच्छापत्रदार या ऐसे इच्छापत्रदार का प्रतिनिधि नहीं है वहां प्रशासन का अनुदान 119
225. सर्वस्व या अवशिष्ट इच्छापत्रदार से भिन्न इच्छापत्रदारों को प्रशासन–पत्र के अनुदान के पूर्व उपस्थिति पत्र 119
226. किन्हें प्रशासन–पत्र अनुदत्त नहीं किया जा सकेगा 120
227. नियमों का राज्य विधान 120

सीमित अनुदान

समय सीमा वाले अनुदान

228. खो गए इच्छापत्र की प्रति या प्रारूप का प्रोबेट 120
229. खो गए या विनष्ट इच्छापत्र की अंतर्वस्तुओं का प्रोबेट 120
230. जहां मूल विद्यमान है वहां उसकी प्रति का प्रोबेट 120
231. इच्छापत्र के प्रस्तुत किए जाने तक प्रशासन 121

अधिकार रखने वाले अन्य व्यक्तियों के उपयोग और लाभ के लिए अनुदान

232. अनुपस्थित निष्पादक के अटर्नी को इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन 121
233. ऐसे अनुपस्थित व्यक्ति के जो यदि उपस्थित होता तो प्रशासन के लिए अधिकारी होता, अटर्नी को इच्छापत्र उपाबद्ध करते हुए प्रशासन 121

234. इच्छापत्र रहितता के मामले में प्रशासन के लिए अधिकारी अनुपस्थित व्यक्ति के अटर्नी को प्रशासन 121
235. एकमात्र निष्पादक या अवशिष्ट इच्छापत्रदार की अवयस्कता के दौरान प्रशासन 121
236. विभिन्न निष्पादकों या अवशिष्ट इच्छापत्रदारों की अवयस्कता के दौरान प्रशासन 122
237. पागल या अवयस्क के उपयोग और लाभ के लिए प्रशासन 122
238. वाद के विचाराधीन रहने के दौरान प्रशासन के अधीन होगा और उसके निर्देश के अधीन कार्य करेगा। 122

विशेष प्रयोजनों के लिए अनुदान

239. इच्छापत्र में विनिर्दिष्ट प्रयोजन तक सीमित प्रोबेट 122
240. विशिष्ट प्रयोजन के लिए सीमित प्रशासन, इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए 122
241. संपदा तक सीमित प्रशासन जिसमें व्यक्ति लाभप्रद हित रखता है 123
242. वाद तक सीमित प्रशासन 123
243. प्रशासक के विरुद्ध लाए जाने वाले वाद में पक्षकार बनने के प्रयोजन तक सीमित प्रशासन 123
244. मृत व्यक्ति की संपदा के संग्रहण और परिरक्षण तक सीमित प्रशासन 123
245. उस व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की प्रशासक के रूप में नियुक्ति जो सामान्य परिस्थितियों में प्रशासन के लिए अधिकारी है 124

अपवाद सहित अनुदान

246. अपवाद के अधीन रहते हुए, प्रोबेट या इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन–पत्र 124
247. अपवाद सहित प्रशासन 124

अवशेष के अनुदान

248. अवशिष्ट का प्रोबेट या प्रशासन 124

अप्रशासित भंडार का अनुदान

249. अप्रशासित भंडार का अनुदान 125
250. अप्रशासित भंडार के अनुदान के बारे में नियम 125
251. प्रशासन जहां सीमित अनुदान का पर्यवसान हो गया हो फिर भी संपदा का कुछ भाग अप्रशासित हो 125

अनुदानों का परिवर्तन और प्रतिसंहरण

252. कौन सी गलतियां न्यायालय द्वारा सुधारी जा सकेंगी 125
253. इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन का अनुदान करने के पश्चात् क्रोडपत्र का पता चलने पर प्रक्रिया 125

254. न्यायोचित कारण से प्रतिसंहरण या अकृतकरण 125

प्रोबेटों और प्रशासन–पत्रों के अनुदान और प्रतिसंहरण की पद्धति

255. प्रोबेटों आदि के अनुदान और प्रतिसंहरण में जिला न्यायाधीश की अधिकारिता 127
256. अप्रतिविरोधात्मक मामलों में कार्यवाही करने के लिए जिला न्यायाधीश की प्रत्यायोजिती की नियुक्ति करने की शक्ति 127
257. प्रोबेट और प्रशासन के अनुदान के बारे में जिला न्यायाधीश की शक्तियां 127
258. जिला न्यायाधीश किसी व्यक्ति को इच्छापत्रीय अभिलेख प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेगा 127
259. प्रोबेट और प्रशासन के संबंध में जिला न्यायाधीश के न्यायालय की कार्यवाहियां 128
260. संपदा के संरक्षण के लिए जिला न्यायाधीश कब और कैसे हस्तक्षेप कर सकता है 128
261. जिला न्यायाधीश द्वारा प्रोबेट या प्रशासन पत्र कब अनुदत्त किया जा सकेगा 128
262. उस जिले के न्यायाधीश को, जिसमें मृत्तक का नियत निवास स्थान नहीं था, किए गए आवेदन का निस्तारण 128
263. प्रोबेट और प्रशासन–पत्र प्रतिनिधि द्वारा अनुदत्त किया जा सकता है 129
264. प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का निश्चायक होना 129
265. धारा 264 के परन्तुक के अधीन अनुदानों के प्रमाणपत्र का उच्च न्यायालय को पारेषण 129
266. प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के लिए आवेदन का, यदि उन्हें समुचित रूप से लिखा और सत्यापित किया गया है निश्चायक होना 130
267. प्रोबेट के लिए याचिका 130
268. किन मामलों में इच्छापत्र का अनुवाद याचिका के साथ उपाबद्ध किया जाएगा। न्यायालय के अनुवादक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अनुवाद का सत्यापन 131
269. प्रशासन–पत्र के लिए याचिका 131
270. कतिपय मामलों में प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के लिए याचिका, आदि में कथनों में वृद्धि 132
271. प्रोबेट आदि के लिए याचिका पर हस्ताक्षर और उसका सत्यापन 133
272. प्रोबेट के लिए याचिका को इच्छापत्र के एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना 133

273. याचिका या घोषणा में मिथ्या प्रकथन के लिए दंड 133
274. जिलान्यायाधीश की शक्तिय 133
275. प्रोबेट या प्रशासन के अनुदान के विरुद्ध केवियट 134
276. केवियट की प्रविष्टि के पश्चात् याचिका पर किसी कार्यवाही का तब तक न किया जाना जब तक केवियटकर्ता को सूचना न दे दी जाए 134
277. जिला प्रतिनिधि कब प्रोबेट या प्रशासन का अनुदान नहीं करेगा 135
278. संदेहास्पद मामलों में जहां कहीं प्रतिविरोध नहीं है जिला न्यायाधीश को कथन पारेषित करने की शक्ति 135
279. जहां प्रतिविरोध है या जिला प्रतिनिधि यह सोचता है कि प्रोबेट या प्रशासन–पत्र देना उसके न्यायालय में अस्वीकार किया जाना चाहिए वहां प्रक्रिया 135
280. प्रोबेट के अनुदान का न्यायालय की मुद्रा के अधीन होना 135
281. प्रशासन–पत्रों के अनुदान का न्यायालय की मुद्रा के अधीन होना 136
282. प्रशासन बन्धपत्र 136
283. प्रशासन बन्धपत्र का समनुदेशन 136
284. प्रोबेट और प्रशासन के अनुदान के लिए समय 136
285. मूल इच्छापत्रों को, जिनके प्रोबेट या प्रशासन–पत्र इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए, अनुदत्त किए गए हों, पत्रावलित करना 136
286. प्रतिविरोध के मामले में प्रक्रिया 137
287. प्रतिसंहृत प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अभ्यर्पण 137
288. प्रोबेट या प्रशासन के प्रतिसंहृत किए जाने के पूर्व निष्पादक या प्रशासक को संदाय 137
289. प्रशासन–पत्र को अस्वीकार करने की शक्ति 137
290. जिला न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध अपीलें 138
291. निष्पादक या प्रशासक का हटाया जाना और उत्तराधिकारी के लिए उपबंध 138
292. निष्पादक या प्रशासक को निर्देश 138

स्वयं के दोष से निष्पादक

293. स्वयं के दोष से निष्पादक 138
294. स्वयं के दोष से निष्पादक का दायित्व 139

निष्पादक या प्रशासक की शक्तियां

295. मृतक की मृत्यु से समाप्त न हुए वाद हेतुकों और मृत्यु पर देय ऋणों के संबंध में 139

296. मृतक की या उसके विरुद्ध मांगें और कार्यवाही करने के अधिकारों का निष्पादक या प्रशासक के पक्ष में या उसके विरुद्ध समाप्त न होना 139
297. सम्पत्ति के व्ययन के लिए निष्पादक या प्रशासक की शक्ति 140
298. प्रशासन की साधारण शक्तियां – कोई निष्पादक या प्रशासक 141
299. मृतक की संपदा का निष्पादक या प्रशासक द्वारा क्रय किया जाना 141
300. कई निष्पादकों या प्रशासकों की शक्तियों का उनमें से एक द्वारा प्रयोग 142
301. कई निष्पादकों या प्रशासकों में से एक की मृत्यु पर शक्तियों का समाप्त न होना 142
302. अप्रशासित भंडार के प्रशासन की शक्ति 142
303. अवयस्कता के दौरान प्रशासन की शक्तियां 142
304. विवाहित निष्पादिका या प्रशासिका की शक्तियां 142

निष्पादक या प्रशासक के कर्तव्य

305. मृतक की अन्त्येष्टि के संबंध में 142
306. भंडार सूची और लेखा 143
307. भंडार सूची में कतिपय मामलों में भारत के किसी भी भाग की संपदा का सम्मिलित किया जाना 143
308. मृतक की संपदा और उसे देय ऋण के संबंध में 144
309. व्ययों का सभी ऋणों के पूर्व संदाय किया जाना 144
310. ऐसे व्ययों के पश्चात् दूसरे व्ययों का संदाय किया जाना 144
311. उसके बाद कतिपय सेवाओं के लिए मजदूरियों का और तत्पश्चात् अन्य ऋणों का संदाय 144
312. पूर्वोक्त के सिवाय सभी ऋणों का समान रूप से और आनुपातिक रूप से संदाय किया जाना 144
313. जहां अधिवास भारत में न हो वहां ऋण के संदाय के लिए जंगम संपदा का उपयोग 144
314. इच्छापत्रीय संपदाओं के पूर्व ऋणों का संदाय किया जाना 145
315. निष्पादक या प्रशासक का प्रतिपूर्ति के बिना, इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए बाध्य न होना 145
316. साधारण इच्छापत्रीय संपदा ओं में कमी 145
317. जब आस्तियां ऋणों के संदाय के लिए पर्याप्त हों तब विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदाओं में कमी न होना 145
318. जब आस्तियां ऋणों और आवश्यक व्ययों के संदाय के लिए पर्याप्त हैं तब निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा के अधीन अधिकार 146
319. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदाओं में आनुपातिक कमी किया जाना 146

320. वे इच्छापत्रीय संपदाएं जो कमी करने के प्रयोजन के लिए साधारण इच्छापत्रीय संपदाएं मानी जाती हैं 146

निष्पादक या प्रशासक द्वारा इच्छापत्रीय संपदा के लिए अनुमति

321. इच्छापत्रदार के अधिकार को पूर्ण करने के लिए अनुमति का आवश्यक होना 146
322. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा के लिए निष्पादक की अनुमति का प्रभाव 147
323. सशर्त अनुमति 147
324. अपनी स्वयं की इच्छापत्रीय संपदा के लिए निष्पादक की अनुमति 148
325. निष्पादक की अनुमति का प्रभाव 148
326. निष्पादक इच्छापत्रीय संपदा का परिदान कब करेगा 149

वार्षिकियों का संदाय और प्रभाजन

327. वार्षिकी का प्रारंभ, जब इच्छापत्र में कोई समय नियत न हो 149
328. त्रैमासिक या मासिक संदाय वाली वार्षिकी प्रथम बार कब शोध्य होती है 149
329. आसनुक्रमिक संदायों की तिथियां जब प्रथम संदाय दिए गए समय के भीतर या निश्चित दिन करने का निर्देश हो, संदाय की तिथि से पूर्व वार्षिकीदार की मृत्यु 150

इच्छापत्रीय संपदाओं का उपबंध करने के लिए निधियों का विनिधान

330. जहां इच्छापत्रीय संपदा , जो विनिर्दिष्ट नहीं है, जीवन पर्यन्त के लिए दी गई है, वहां उत्तरदान की गई धनराशि का विनिधान 150
331. भविष्य में संदेय, साधारण इच्छापत्रीय संपदा का विनिधान, मध्यवर्ती ब्याज का व्ययन 150
332. जहां कोई निधि वार्षिकी से भारित या उसके लिए विनियोजित नहीं की गई है वहां प्रक्रिया 150
333. समाश्रित इच्छापत्र का अवशिष्ट इच्छापत्रदार को अन्तरण 151
334. किन्हीं विशिष्ट प्रतिभूतियों में विनिधान किए जाने के निर्देश के बिना जीवन पर्यन्त के लिए उत्तरदान किए गए अवशेष का विनिधान 151
335. किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में विनिधान किए जाने के निर्देश के सहित जीवन पर्यन्त के लिए उत्तरदान किए गए अवशेष का विनिधान 151
337. ऐसे मामले में प्रक्रिया जहां अवयस्क उत्तरदान के तुरन्त संदाय या आधिपत्य का अधिकारी है और उसके निमित्त किसी व्यक्ति को संदाय किए जाने का निर्देश नहीं है 151

इच्छापत्रीय संपदाओं के उत्पाद और ब्याज

338. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा के उत्पाद के लिए इच्छापत्रदार का अधिकार 152

339. अवशिष्ट इच्छापत्रदार का अवशिष्ट निधि के उत्पाद पर अधिकार 153

340. ब्याज, जब साधारण इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए कोई समय नियत नहीं है 153

341. ब्याज जब समय नियत है 154

342. ब्याज की दर 154

343. इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् प्रथम वर्ष के भीतर वार्षिकी पर कोई ब्याज न होना 154

344. वार्षिकी का सृजन करने के लिए विनिहित धनराशि पर ब्याज 154

इच्छापत्रीय संपदाओं के प्रतिदाय

345. न्यायालय के आदेशों के अधीन संदत्त इच्छापत्रीय संपदा का प्रतिदाय 154

346. यदि संदाय स्वैच्छिक है तो प्रतिदाय नहीं होगा 154

347. उस समय प्रतिदाय जब इच्छापत्रीय संपदा धारा 131 के अधीन अनुज्ञात अतिरिक्त समय के भीतर शर्त का अनुपालन करने पर देय हो गई है 155

348. प्रत्येक इच्छापत्रदार को कब अनुपात में प्रतिदाय करने के लिए विवश किया जा सकेगा 155

349. आस्तियों का वितरण 155

350. लेनदार इच्छापत्रदार से प्रतिदाय की मांग कर सकेगा 155

351. ऐसा इच्छापत्रदार, जिसकी तुष्टि नहीं हुई है या जिसे धारा 350 के अधीन प्रतिदाय करने के लिए विवश किया गया है, उस इच्छापत्रदार को, जिसे पूर्ण संदाय किया गया है, प्रतिदाय करने के लिए कब बाध्य नहीं कर सकता है 155

352. अतुष्ट इच्छापत्रदार को निष्पादक के विरुद्ध, यदि वह ऋण शोधक्षम है, पहले कब कार्यवाही करनी चाहिए 156

353. एक इच्छापत्रदार की दूसरे इच्छापत्रदार को प्रतिदाय करने की सीमा 156

354. प्रतिदाय पर ब्याज का न होना 156

355. अवशेष का प्रायिक संदायों के पश्चात् अवशिष्ट इच्छापत्रदार को संदत्त किया जाना 157

356. अधिवास के देश के निष्पादक या प्रशासक को भारत से आस्तियों का वितरण के लिए अंतरण 157

विध्वंस के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व

357. विध्वंस के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व 157

358. संपदा का कोई भाग लेने में उपेक्षा के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व 158

अध्याय – 6
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

359. प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय 159
360. प्रमाणपत्र के लिए आवेदन 159
361. आवेदन पर प्रक्रिया 160
362. प्रमाणपत्र की विषयवस्तु 160
363. प्रमाणपत्र के प्राप्तिकर्ता से प्रतिभूति की अध्यपेक्षा 161
364. प्रमाणपत्र का विस्तार 161
365. प्रमाणपत्र और विस्तारित प्रमाणपत्र का प्रपत्र 162
366. प्रतिभूतियों के बारे में शक्तियों के संबंध में प्रमाणपत्र का संशोधन 162
367. प्रमाणपत्रों पर न्यायालय के षुल्क का संग्रहण करने का ढंग 162
368. प्रमाणपत्र का स्थानीय विस्तार 162
369. प्रमाणपत्र का प्रभाव 162
370. प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण 163
371. अपीलें 163
372. पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र, प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का प्रमाणपत्र पर प्रभाव 164
373. अविधिमान्य प्रमाणपत्र के धारक को सद्भाव से किए गए कतिपय संदायों का विधिमान्यकरण 164
374. इस अध्याय के अधीन विनिश्चयों का प्रभाव और उसके अधीन प्रमाणपत्र धारक का दायित्व 164
375. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालयों की अधिकारिता अवर न्यायालय को प्रदान करना 164
376. अधिक्रांत और अविधिमान्य प्रमाणपत्रों का अभ्यर्पण 165

अध्याय – 7
प्रकीर्ण

377. व्यावृत्ति 167

भाग–3
सहवासी संबंध

378. सहवासी संबंध के सहवासियों द्वारा कथन का प्रस्तुतिकरण 168
379. सहवासी संबंध से जनित बच्चे 168
380. सहवासी संबंध का पंजीकरण न किया जाना 168
381. सहवासी संबंध के पंजीकरण की प्रक्रिया 169
382. इस भाग के अंतर्गत पंजीकरण मात्र अभिलेख हेतु 169

383. इस भाग के अन्तर्गत निबंधक को अधिकारयुक्त करना, और पंजिकाओं का रखरखाव 169
384. सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्रस्तुत करना 170
385. निबंधक के कर्तव्य 170
386. सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु नोटिस 170
387. अपराध एवं दण्ड 170
388. भरण–पोशण 171
389. नियम बनाने की शक्ति 171

भाग–4
विविध

390. निरसन एवं व्यावृत्तियां 172
391. नियम बनाने की शक्ति 172
392. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति 172

अनुसूचियां

अनुसूची–1 – प्रतिषिद्ध नातेदारियों की सूचियां 174
अनुसूची–2 – उत्तराधिकारियों की सूचियां 177
अनुसूची–3 – प्रमाणपत्र का प्रपत्र 179
अनुसूची–4 – केविएट का प्रपत्र 179
अनुसूची–5 – प्रोबेट का प्रपत्र 179
अनुसूची–6 – प्रशासन पत्र का प्रपत्र 180
अनुसूची–7 – प्रमाणपत्र और विस्तारित प्रमाणपत्र के प्रपत्र 180

समान नागरिक संहिता,

उत्तराखंड, 2024

विधेयक संख्या – वर्ष 2024

विवाह और विवाह–विच्छेद, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध विषयक विधि एवं तत्संबंधी मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार –**

(1) इस संहिता का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 है।

(2) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य पर है और यह उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होता है जो उस क्षेत्र के बाहर अधिवसित हैं, जिस पर इस संहिता का विस्तार है।

2. **अनुसूचित जनजातियों पर संहिता की प्रयोज्यता** – भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25), सहपठित अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं ऐसे व्यक्तियों व व्यक्तियों के समूहों जिनके परम्परागत अधिकार भारत के संविधान के भाग 21 के अन्तर्गत संरक्षित हैं, पर इस संहिता में अन्तर्विष्ट कोई प्रावधान लागू नहीं होगा।

3. **परिभाषाएं –**

(1) इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''बच्चा'' माता–पिता के संबंध में ''बच्चा'' से, उनका जैविक बच्चा, जिसमें दत्तक, अधर्मज, अथवा किराये की कुक्षि (सॅरोगेसी) या सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनित बच्चा सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(ख) ''न्यायालय'' से मूल सिविल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय अभिप्रेत है, जिसमें पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्या 66) के अन्तर्गत स्थापित पारिवारिक न्यायालय अथवा कोई भी ऐसा न्यायालय सम्मिलित है जिसे पारिवारिक न्यायालय की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गये हों;